रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225597
CG-DL-E-02032021-225597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
No. 906] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 980(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना कहा गया है) द्वारा यह निदेश दिया है कि इसके प्रकाशन से ही, या प्रौद्योगिकी और/या उत्पाद मिश्रण में पर्यावरण सहित क्षमता अभिवर्धन को अंतर्वलित करने वाली ईआईए की अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, सम्यकतः गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही आरंभ किया जाएगा ;

और, 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' के मूल सिद्धांत के साथ ही, केंद्रीय सरकार ने ईआईए अधिसूचना को, अधिसूचना सं. 3519(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 और सं. का.आ. 236(अ), तारीख 16 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया, जिसके द्वारा, उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन में नम्यता, उत्पादों के भीतर मात्राओं या ऐसी 50 प्रतिशत की सीमा सहित उत्पादन में पारिणामिक वृद्धि सहित उसी प्रवर्ग में, जिनके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई हैं, में परिवर्तन ; परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों से संयंत्र के संरूपण में परिवर्तन का उपबंध किया गया है ;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, जब तक प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, तब तक पुनः संपूर्ण पर्यावरण में अनापत्ति प्रक्रिया से गुजरे बिना उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अनुज्ञात करने के लिए, प्रसंस्करण, उत्पादन और विनिर्माण सेक्टर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना सं. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना के कार्यान्वयन में अनुभव के आधार पर, केंद्रीय सरकार, कच्ची सामग्री मिश्रण या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन या उत्पादों के भीतर मात्राओं या उत्पादों की संख्या में परिवर्तन या ऐसे विद्यमान क्षेत्रों से संसक्त क्षेत्रों में, जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय आपत्ति की अपेक्षा के

बिना पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई है, संयंत्र या संक्रियाओं के संरूपण के किसी परिवर्तन के साथ या उसके बिना प्रसंस्करण, उत्पादों और विनिर्माण सेक्टर के संबंध में उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अनुज्ञात करना आवश्यक समझती है, यह तब जबकि प्रदूषण भार में कोई वृद्धि न हो ;

और, पेट्रोल वाले एथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना सं. का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 और अधिसूचना सं. का.आ. 750(अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा एथेनॉल के उत्पादन के लिए आशयित चीनी विनिर्माण या मद्य निर्माणशाला यूनिटों के विस्तार के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध किया गया था । वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20 प्रतिशत सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इस व्यवस्था को और आगे बनाए रखने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

1. पैरा 2 में, खंड (ii) और खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों में उत्पाद मिश्रण या कच्ची सामग्री मिश्रण में विस्तार, आधुनिकीकरण या कोई परिवर्तन, जिसका परिणाम पैरा 7 के उपपैरा (ii) में उपबंधित शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, उक्त अधिसूचना में संबद्ध सेक्टर के लिए विनिर्दिष्ट अवसीमाओं से परे क्षमता है।";

2. पैरा 7 में,--

क. शीर्षक में "नई परियोजनाओं के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

ख. उपपैरा (i) में, "**इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजना या क्रियाकलापों के लिए**" शब्द उपपैरा के शीर्षक के रूप में अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

ग. उपपैरा (ii) में,--

(I) खंड (क) में, "तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति की मंजूरी के लिए आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं या क्रियाकलापों से भिन्न परियोजनाओं या क्रियाकलापों की बाबत";

(II) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) **ऐसी विद्यमान परियोजनाएं (जिनके पास पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति है), जो प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं करती हैं :** (i) कच्ची सामग्री मिश्रण या (ii) उत्पाद मिश्रण या (ii) उत्पादों के भीतर मात्राएं या (ii) उसी प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले नए उत्पादों सहित उत्पादों की संख्या या (iv) विद्यमान क्षेत्र या विद्यमान क्षेत्र से संसक्त क्षेत्रों (जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई है) में संयंत्र या प्रक्रिया या संक्रियाओं का संरूपण, किसी परिवर्तन सहित या रहित प्रसंस्करण या उत्पादन या विनिर्माण सेक्टरों (इस अधिसूचना की अनुसूची में मद सं. 2, 3, 4 और 5 के सामने सूचीबद्ध) की बाबत उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी, यह तब जबकि प्रदूषण भार (ऐसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के आधार पर व्युत्पन्न) में कोई वृद्धि न हो :

परंतु ऐसी छूट केवल निम्नलिखित के परिणामस्वरूप,--

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, परिशिष्ट 13 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, परिवेश पोर्टल पर, पैनलीकृत पर्यावरणीय संपरीक्षक या प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं प्रमाणपत्र के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में जानकारी देने वाले परियोजना प्रस्तावक को और साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को लागू होगी ;

टिप्पण : यदि सत्यापन किए जाने पर, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, परियोजना प्रस्तावक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यह अभिनिर्धारित करती है कि ऐसे परिवर्तन या विस्तार या आधुनिकीकरण का परिणाम प्रदूषण भार में वृद्धि है, तो इस खंड के अधीन दावा की गई छूट विधिमान्य नहीं होगी और यह समझा जाएगा कि परियोजना प्रस्तावक सदैव खंड (क) के अनुसार, ऐसे परिवर्तन या विस्तार या आधुनिकीकरण के संबंध में, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए दायी था और तदनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(ख) उत्सर्जन और निस्सारण की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सर्वरों से संबद्ध कम से कम 95 प्रतिशत अपटाइम के साथ ऑनलाइन सतत् निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) का संस्थापन और कार्यान्वयन को लागू होगा :

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे परिवर्तन या वृद्धि का परिणाम, परियोजना या क्रियाकलाप के प्रवर्ग में प्रवर्ग-'बी2' से या तो प्रवर्ग-'ए' या प्रवर्ग-'बी1' तक में परिवर्तन के रूप में होता है ।

(ग) ऐसी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जो इस अधिसूचना की अनुसूची की किसी मद के अंतर्गत आते हैं, के संबंध में विस्तृत इंजीनियरी के पश्चात् परियोजना के निष्पादन के दौरान पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों से संयंत्र या क्रियाकलाप के संरूपण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं होगी, यदि उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं है और ऐसे परिवर्तनों, जिनके परिणामस्वरूप प्रणाली सृजित अभिस्वीकृति, संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी, को कार्यान्वित करने से पूर्व समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंधित रूपविधान में परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर ऐसे परिवर्तनों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं है, को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा के प्रयोजन के लिए, उत्सर्जनों, बहि:स्रावों या निस्सरणों, ठोस, औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में, "प्रदूषण भार" का अवधारण, भिन्न-भिन्न संघटकों की मात्रा और संकेन्द्रण के गुणन तथा पैरामीटरों (जैसा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति या पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंध योजना, जिसके आधार पर ऐसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई है, में उपबंधित या निर्दिष्ट है) और समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित ऐसे अन्य पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा ।'।

3. अनुसूची में, मद 5(छ) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"**टिप्पण :** ऐसी चीनी विर्माण यूनिटों या मद्य निर्माणशालाओं का, जिनके पास पूर्व पर्यावरण अनापत्ति है, तथा ऐसे एथनाल, जिसका केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित मिश्रण के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना है, के उत्पादन के लिए विस्तार का प्रवर्ग 'बी 2' परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा ।"।

4. परिशिष्ट 13 के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परिशिष्ट 13

प्रदूषण भार में वृद्धि न होने का सत्यापन

ईआईए अधिसूचना में तुरंत संशोधन (i) कच्ची सामग्री मिश्रण या (ii) उत्पाद-मिश्रण या (ii) उत्पादों के भीतर मात्राएं या (iii) उसी प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले नए उत्पादों सहित उत्पादों की संख्या या (iv) विद्यमान क्षेत्र या परियोजना की पर्यावरण अनापत्ति में विनिर्दिष्ट विद्यमान क्षेत्र से संलग्न क्षेत्रों में संयंत्र या प्रक्रिया या संक्रियाओं के संरूपण में किसी परिवर्तन सहित या रहित प्रसंस्करण ; या उत्पादन ; या विनिर्माण सेक्टरों (इस अधिसूचना की अनुसूची में मद सं. 2, 3, 4 और 5 के सामने सूचीबद्ध) के संबंध में उत्पादन क्षमता में किसी वृद्धि के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त है । यह सुविधा उन यूनिटों को उपलब्ध है, जिन्होंने ईआईए अधिसूचना, 1994 तथा ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त कर ली है । ऐसे मामलों के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने से छूट का दावा करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :--

1. परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे पर्यावरण संपरीक्षकों या प्रतिष्ठित संस्थाओं, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) द्वारा पेनलीकृत की जाएं, से 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करे ।

2. मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर, समय-समय पर उपलब्ध कराए गए अनुसार, 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' प्रमाणपत्र और सूचना की एक प्रति उस यूनिट द्वारा अपलोड की जाएगी, जिसके लिए प्रणाली सृजित अभिस्वीकृति आनलाइन जारी की जाएगी ।

3. यूनिट, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को विनिर्दिष्ट रूपविधान में निम्नलिखित के साथ सूचित करेगी,--

i. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या मंत्रालय द्वारा पैनलीकृत पर्यावरण संपरीक्षक या प्रतिष्ठित संस्था से 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' का प्रमाणपत्र ;

ii. परियोजना या क्रियाकलाप के लिए प्रचालन के लिए अंतिम सहमति प्रमाणपत्र ; और

iii. परिवेश पोर्टल पर सूचना और 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' प्रमाणपत्र अपलोड करने की आनलाइन सृजित प्रणाली अभिस्वीकृति ।

4. इस प्रकार अभिप्राप्त सूचना की, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी, जो, परियोजना प्रस्तावक से अभिप्राप्त, ऐसी सूचना पर विनिश्चय करेगा/करेगी ।

5. यदि, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, सत्यापन किए जाने पर पर यह पाते हैं कि परिवर्तन या विस्तार या आधुनिकीकरण का परिणाम प्रदूषण भार में वृद्धि के रूप में होगा या हुआ है, तो इस खंड के अधीन दावा की गई छूट विधिमान्य नहीं होगी और यह माना जाएगा कि परियोजना प्रस्तावक, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि करने से पहले, इस अधिसूचना के पैरा 7 के उपपैरा (ii) खंड (क) के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने का दायी होगा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

टिप्पण : शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह, ऐसा परिवर्तन या वृद्धि करने से पूर्व, यथास्थिति, परिवर्तन, विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप 'प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं' के संबंध में स्वयं का समाधान करे और परियोजना प्रस्तावक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा, यदि तथ्यों या दावे के सत्यापन किए जाने पर यह पाया जाता है कि ऐसे परिवर्तन, विस्तार या आधुनिकीकरण से प्रदूषण भार में वृद्धि अंतर्वलित है ।"।

[फा. सं. 22-33/2019-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ), तारीख 18 जनवरी, 2021 द्वारा उसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 980(E).—WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the EIA Notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the EIA notification entailing capacity addition with change in process or technology and/or product mix shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

AND WHEREAS, with core principle of 'no increase in pollution load', the Central Government has amended the EIA notification by notifications number S.O. 3518(E), dated the 23rd November, 2016 and number S.O. 236 (E), dated the 16thJanuary, 2020 providing flexibility in change in product-mix; change in quantities within products or number of products in the same category including resultant increase in the production with a cap of 50 per cent for which environmental clearance has been granted; change in configuration of the plant from the environmental clearance conditions during execution of the project;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in receipt of requests from processing, production and manufacturing sector for permitting increase in production capacity without having to go through entire environmental clearance process again as long as there is no increase in pollution load;

AND WHEREAS, based on the experience in implementation of the EIA notification as amended by aforesaid notification number S.O. 3518(E), dated the 23rd November, 2016, the Central Government deems it necessary to permit increase in production capacity in respect of processing, production and manufacturing sector with or without any change in raw material-mix or product-mix or change in quantities within products or number of products or any change in configuration of the plant or operations in areas contiguous to the existing area, for which prior environmental clearance has been granted, without the requirement of Prior Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load;

AND WHEREAS, for the purpose of Ethanol Blending Programme with Petrol, a special dispensation was provided for expansion of sugar manufacturing or distillery units, intended for production of Ethanol vide notification number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 and notification number S.O. 750(E), dated the 17th February, 2020. In view of the Government's commitment to achieve 20% blending of ethanol in petrol by the year 2025, it has been decided to continue further with this dispensation;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14thSeptember, 2006, namely:-

In the said notification, -

1. in paragraph 2, for clauses (ii) and (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Expansion, modernisation or any change in the product mix or raw material mix in existing projects or activities, listed in the Schedule to this notification, resulting in capacity beyond the threshold limits specified for the concerned sector in the said Schedule, subject to conditions and procedure provided in the sub-paragraph (ii) of paragraph 7";

2. in paragraph 7,-

A. in the heading, the words "*for New Projects*" shall be omitted;

B. in the sub-paragraph (i), the words "***For new projects or activities listed in the Schedule to this notification***:" shall be inserted as heading to the sub-paragraph;

C. in the sub-paragraph (ii),-

(I) in the clause (a), after the words "*application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance*", the following words shall be inserted, namely:-

"*in respect of projects or activities other than falling in clause (b) and (c)*";

(II) for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

'*(b)* ***Existing projects (having Prior Environmental Clearance) with no increase in pollution load:*** *Any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors (listed against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any change in (i) raw material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of products including new products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or process or operations in existing area or in areas contiguous to the existing area (for which prior environmental clearance has been granted) shall be exempt from the requirement of Prior Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load (derived on the basis of such Prior Environmental Clearance):*

Provided that such exemption shall be applicable only consequent to -

A. the project proponent furnishing information regarding such changes along with no increase in pollution load certificate, from the environmental auditor or reputed institutions empanelled by the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee or Central Pollution Control Board or Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as per the procedure laid down in Appendix-XIII, on PARIVESH portal as well as to the concerned State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee.

Note: If on verification, the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, after giving the project proponent the opportunity of being heard, holds that such change or expansion or modernisation results in increase in pollution load, the exemption claimed under this clause shall not be valid and it shall be deemed that the project proponent was always liable to obtain prior environmental clearance, in respect of such change or expansion or modernisation, as per the clause (a) and the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 shall apply accordingly;

B. installation and implementation of Online Continuous Monitoring System (OCMS) with at least 95% uptime, connected to the servers of the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee concerned to report the quantity and quality, of emission and discharges:

Provided further that the provisions of this clause shall not be applicable if such change or increase results in change in category of project or activity from Category-'B2' to either Category-'A' or Category 'B1'.

(c) Any change in configuration of the plant or activity from the environmental clearance conditions during execution of the project after detailed engineering, in respect of projects or activities, falling in any item of the Schedule to this notification, shall not require prior environmental clearance, if there is no change in production capacity and there is no increase in pollution load subject to furnishing particulars of such changes on PARIVESH portal in the format as may be provided by the Government from time to time, before implementing such changes whereupon a system generated acknowledgement will be issued by the concerned Regulatory Authority.

***Explanation:-** For the purpose of this sub-paragraph, "Pollution load" shall be determined on the basis of multiplication of quantity and concentration of different components and parameters (as provided or referred in the Prior Environment Clearance or the Environment Impact Assessment Report (EIA) and Environment Management Plan based on which such Prior Environment Clearance has been granted), in respect of emissions, effluents or discharge, solid, industrial hazardous waste and such other parameters notified under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended from time to time.'*

3. in the Schedule, against item 5(g), after the entry in column (5), the following entry shall be inserted, namely:-

"***Note:** Expansion of sugar manufacturing units or distilleries, having Prior Environment Clearance and for production of ethanol, to be used as fuel for blending only as certified by the competent authority, shall be appraised as Category 'B2' projects.*";

4. for Appendix-XIII, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"***Appendix-XIII***

Verification of No Increase in Pollution Load

The instant amendment in EIA Notification exempts the requirement of Prior Environmental Clearance for any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors (listed against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any change in (i) raw material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of products including new products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or process or operations in existing area or in areas contiguous to the existing area specified in the environmental clearance of the project. This facility is available to those units which have obtained prior environmental clearance under EIA Notification, 1994 and EIA Notification, 2006. To claim exemption from obtaining Prior Environment Clearance in respect of such cases, the project proponent shall follow the following process:-

1. *The project proponent is required to obtain a certificate of 'no increase in the pollution load' from the environmental auditors or reputed institutions, to be empanelled by the State Pollution Control Board or Central Pollution Control Board or Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry).*

2. *A copy of 'no increase in pollution load' certificate and intimation, as provided by the Ministry from time to time on PARIVESH portal, shall be uploaded by the unit for which system generated acknowledgement shall be issued online;*

3. *The unit shall inform the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, in specified format along with-*

 i. *'no increase in pollution load' certificate from the Environmental Auditor or reputed institutions empanelled by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee or Central Pollution Control Board or Ministry;*

 ii. *last Consent to Operate certificate for the project or activity; and*

 iii. *online system generated acknowledgement of uploading of intimation and 'no increase in pollution load' certificate on PARIVESH Portal;*

4. *The information so received shall be examined by the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, who shall take decision on such information, received from the project proponent.*

5. *If on verification the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, holds that the change or expansion or modernisation will result or has resulted in increase in pollution load, the exemption claimed under this clause shall not be valid and it shall be deemed that the project proponent was liable to obtain Prior Environmental Clearance before under taking such changes or increase, as per the clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification and the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 shall apply accordingly.*

Note: *For removal of doubts, it is clarified that it shall be the responsibility of the project proponent to satisfy itself about 'no increase in pollution load' as a result of changes, expansion or modernisation, as the case may be, before under taking such changes or increase, and the project proponent shall be liable for action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 if on verification of facts or claim it is found that such change or expansion or modernisation involves increase in pollution load.".*

[F. No. 22-33/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt.Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O.221(E) , dated the 18th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOKKUMAR Date: 2021.08.02 23:16:47 +05'30